

241846



74

न्यायालय श्रीमान् मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर, म०प्र०

R 4199 PB 2/8

छोगालाल पिता किशनजी गवली फौत वारिसान:-

1. नारायण पिता छोगालाल जाति गवली आयु 60 वर्ष
2. ओमप्रकाश पिता छोगालाल जाति गवली आयु 45 वर्ष
3. जितेन्द्र पिता छोगालाल जाति गवली, आयु 35 वर्ष

सभी का धन्धा-खेती, निवासीयान-ग्राम मंडव तह. व जिला धार म०प्र०



.....निगरानीकर्ता

बनाम

गंगाराम पिता किशन जाति गवली आयु 85 वर्ष धन्धा-कुछ नहीं, निवासी-म०नं० 66 जबरन कालोनी,

.....म०प्र०

.....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अर्ज धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 अनुसार

" यह निगरानी विद्वानअधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय तहसील टप्पा नालछा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 30/अ-27/2013-14 गंगाराम बनाम ओमप्रकाश आदि में पारित आदेश दिनांक 03/05/2016 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है ।"

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण क्रमांक निगरानी 4199-पीबीआर/16

जिला धार


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

13-6-2017

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 3-5-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिका में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कि आवेदकगण का व्यथित होना परिलक्षित होता हो । केवल ग्राम पटवारी से फर्द तलब करने हेतु स्मरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष